राजस्थान सरकार

ालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा जिला–भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी :– रेखा गुर्जर आर0ए0एस0

ंख्या :– 137/2026 प्रा0पत्र

ुकदेवी w/o चंदीलाल खवाड़ नि0 मोखमपुरा-तह0 करेड़ा

प्रार्थी.....

बनाम

ामा S/o श्रवण खवाड़ नि0 मोखमपुरा-तह0 करेड़ा वगै0

विपक्षीगण..

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: आदेश :: दिनांक 6/4/26

ार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0राज0अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत दन किया कि ग्राम मोखमपुरा पटवार हल्का लिम्बोड़ा जागन तहसील करेड़ा में उसके खाते/संयुक्त खाता संख्या 191/आराजी नम्बर 111, 112, 121, 122, 123, 124, 761/120, 762/120,

..... कुल किता 8 रकबा 2.1246

भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नही होने दिन सीमा सबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/ संयुक्त खातें की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

स्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 6/4/26 को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण को नार्थ से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एंव कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी ा अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा–फैरी अदेंशा नही है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इनत तथ्यों का देखते र्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम मोखमपुरा पटवार हल्का लिम्बोड़ा जागन तहसील करेडा में स्थित खाता सख्या राजी नम्बर 111, 112, 121, 122, 123, 124, 761/120, 762/120,

.....कुल किता 8 रकबा 2.1246

क्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू– ख निरीक्षक लिम्बोड़ा जागन को 800/– रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की गी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनायें रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर गढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नही की जावे।

:– प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपी

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाडा

लिपि :– तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाडा